फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

बसन्त सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति रामगढ़िया निवासी दुलमानी राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. प्रेमनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मोहम्मद मंजूर पुत्र सिकन्दर खां निवासी चक 9 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. खुशी मोहम्मद पुत्र चुनस अली जाति मुसलमान निवासी चक 9 एस.डी. तहसील सूरतगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

किस्म मुकदमा : धारा–76 एल.आर.एक्ट **अपील संख्या –91/2024**

GCMS No. 2024/..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2024	आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर की गई बहस पर निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र बहस कथन किया कि अपीलांट आराजी जैर अपील में हितबद्ध पक्षकार है। अपीलांट ने वादगत भूमि दिनांक 15.03.2022 को रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 से क्रय की है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 06.04.2022 को शिकायत पेश की थी, जिसमें मूल खातेदार रेस्पोडेंट सं. 1 को पक्षकार बनाया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से भूमि क्रय किये जाने के कारण रेस्पो. सं. 2, 3 को भी पक्षकार बनाया किन्तु अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया। अपीलांट ने शिकायत दिनांक 06.04.2022 से पूर्व ही दिनांक 15.03.2022 को जैर अपील भूमि खरीद ली थी और अपीलांट के ही कब्जा काश्त में है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित व्यक्तिं है और अपील पेश करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आदेश जैर अपील दिनांक 29.07.2024 के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में आर.आर.डी.–14.09.2016 पेज सं. 523 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ–पत्र व न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में उल्लेखित तथ्यों एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों में भिन्नता है। न्यायिक दृष्टांत के अनुसार	
संभागीय आयुक्त बीकानेर		

जिसका आवंटन निरस्त हुआ था उसी ने ही अपील प्रस्तुत की थी किन्तु इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में प्रार्थी तृतीय क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से जारी खातेदारी सनद संख्या 4364 दिनांक 22.02.2021 चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के प.नं. 234/2 के कि.नं. 11, 12, 16 ता 25 की 3.036 हैक्ट. अनकमाण्ड भूमि व प.नं. 234/3 के कि.नं. 5 की 0.253 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि कुल 3.289 हैक्टेयर भूमि की हद तक निरस्त कर आराजीराज दर्ज करने के आदेश दे दिये। उक्त परिप्रेक्ष्य में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि अपील में अपीलांट किसप्रकार से हितबद्ध पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील में भी प्रार्थी पंक्षकार नहीं है। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी निरस्त किया जाकर अपीलांट को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। आदेश सुनाया गया। अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर